भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 812
29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नीट यूजी/पीजी के लिए सीटें

812. श्री प्रदीप पुरोहित:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में नीट यूजी/पीजी के लिए कुल कितनी सीटें हैं;
(ख) क्या इन कॉलेजों में कोई निश्चित नि:शुल्क संरचना लागू है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार निजी कॉलेजों में नीट सीटों के लिए एक समान शुल्क सीमा लागू करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या कोविड-19 से प्रभावित विदेशी मेडिकल छात्रों के लिए विदेशी मेडिकल स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) में कोई छूट दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या कोविड-19 व्यवधानों के कारण इंटर्नशिप या परीक्षा पूरी करने में असमर्थ विदेशी मेडिकल छात्रों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) क्या भारत में अन्य संस्थान विदेशी और भारतीय मेडिकल स्नातकों के लिए पीजी फेलोशिप कार्यक्रम प्रदान करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें प्रवेश के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार मानदंड क्या हैं; और
(छ) क्या किसी विदेशी संस्थान से छह महीने की पीजी फेलोशिप भारत में मान्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मान्यता के लिए दिशानिर्देश क्या हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कुल 1,18,137 स्नातक चिकित्सा सीटें हैं, जिनमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 60,422 सीटें और निजी मेडिकल कॉलेजों में 57,715 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा, विभिन्न विशेषज्ञताओं में 73,157 स्नातकोत्तर सीटें उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) संबंधित राज्य शुल्क नियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी/निजी मेडिकल कॉलेजों के संबंध में शुल्क संरचना राज्य दर राज्य अलग-अलग होती है।

(घ) और (ङ) विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) एक लाइसेंसदायी परीक्षा है जिसे भारतीय नागरिकों और भारतीय प्रवासी नागरिकों (ओसीआई) को विदेशी संस्थान से चिकित्सा की डिग्री हासिल करने के बाद भारत में चिकित्सा प्रैक्टिस करने के लिए पास करना होगा। इसके अलावा, एनएमसी ने दिनांक 09.05.2023, 07.12.2023, 07.06.2024 और 19.6.2024 के सार्वजनिक नोटिसों के माध्यम से छूट (इंटर्नशिप की अवधि सहित) प्रदान की है और कोविड-19 महामारी/यूक्रेन-रूस युद्ध के कारण एनएमसी को रिपोर्ट किए गए एफएमजी के मुद्दों को हल करने के लिए स्पष्टीकरण जारी किए हैं।

(च) और (छ) राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) विदेशी और भारतीय चिकित्सा स्नातकों के लिए विभिन्न स्नातकोत्तर चिकित्सा फेलोशिप कार्यक्रम प्रदान करता है। पाठ्यक्रमों का विवरण और उनमें प्रवेश के मानदंड एनबीईएमएस द्वारा सूचना बुलेटिन में प्रकाशित किए जाते हैं।

*****